न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2026-6Ju2026-5 Gordhanram ors Vs State of Rajasthan etc

01. गोरधनराम पुत्र बस्तीराम
02. गंगाराम पुत्र ढगलाराम
03. समीर पुत्र ढगलाराम
04. बाबूलाल पुत्र भीकाराम
समस्त जातियान भील निवासीगण खारडा रणधीर, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब
ना
म

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
02. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 27 अगस्त 2025 राजस्व वाद संख्या पी/236/2023 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/573) बस्तीराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री मूलसिंह गहलोत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट एक
श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 15 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या पी/236/2023 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/573) बस्तीराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 06 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम खारड़ा रणधीर तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 79 रकबा 06.02 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर काबिज काश्त है तथा उनकी ढाणिया बनी हुई है। वादीगण ने अपने वाद में अनुतोष चाहा कि वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अगस्त 2025 के जरिये वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता का ताजीवन कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में वादीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से खसरा संख्या 79 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के पिता दादा भीकाराम के नाम इन्द्राज न होकर सरकारी खाते में इन्द्राज हो गई। वादीगण के पिता, दादा भीकाराम अनपढ एवं गरीब व्यक्ति होने के कारण खातेदारी इन्द्राज बाबत समझ नही थी। इस कारण भी खसरा नम्बर की खातेदारी अपने नाम इन्द्राज नही करवा सके। मौके पर अपीलार्थीगण के द्वारा खेत के चारों ओर कांटे की बाड़ की हुई एवं रहवासिय ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि में पानी के टांके, लाटा आदि बने हुए है तथा हर वर्ष अपीलार्थीगण फसल की बुवाई करते है तथा फसल हासिल करते है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता का सेटलमेंट के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी वक्त बन्दोबस्त से पूर्व से काबिज एवं काश्त करते आ रहे है। खसरा परिवर्तनशील में वादीगण के पिता एवं वादीगण का नाम दर्ज है एवं फसल का हवाला दिया हुआ है, अर्थात् वादग्रस्त भूमि सिवायचक, काबिल काश्त भूमि है एवं बारिस होने पर सावणु फसल होती है। वादीगण हर वर्ष वर्षा होने पर फसल बोते है और फसल हासिल करते हैं। घोषणा का वाद पूर्णतया विधि सम्मत है एवं वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की उपरोक्त भूमि के अलावा आजीविका का कोई साधन नही है और न ही वादीगण के पास उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि है। वादीगण उपरोक्त भूमि में ही परिवार सहित निवास कर रहे है तथा अपने पशुओं के बाडे भी इसी भूमि पर बने हुए है, जिसमें पशुओं को बांधते हैं।यदि वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा तो वादीगण के भूखा मरने के हालात पैदा हो जायेंगे तथा वादीगण बेघर भी हो जायेगे। वादीगण का परिवार बडा परिवार है, इतने बडे परिवार को दूसरी जगह बसाना भी मुश्किल हो जायेगा। वादीगण वक्त सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक बिना रोक टोक कब्जा काश्त एवं रहवास कर रहे है। इस आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर भारी भूल की है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिससे साबित होता है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त है तथा वादीगण ने अपने साक्ष्य मे भी अपने वाद को पूरी तरह से साबित किया है तथा वादीगण ने स्वतंत्र गवाह भी पेश किये है। स्वतंत्र गवाह ने वादीगण का वाद पूरी तरह से साबित किया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–08–2025 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.09.2025 को हुई, जिस पर अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया। उक्त नकल के आवेदन करने पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय एवं डिक्री टाईप नही कराया गया एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हुए। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में बार बार सम्पर्क करने पर भी निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि नही दी गई। आखिर में दिनांक 29–12–2025 को अपीलान्ट के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एव डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई। उसके पश्चात अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील तैयार की जाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि में लगने वाले समय को समायोजित करते हुए अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अगस्त 2025 को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष वाद स्वीकार किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है तथा वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या दो की खातेदारी में दर्ज होकर उसके कब्जे काश्त में है। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। कानूनन सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विरचित तनकीयात पर पृथक–पृथक निष्कर्ष पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स की ओर से दिनांक 10 सितंबर 2025 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 29.12.2025 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की है। विचारण न्यायालय को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने में लगे समय को म्याद में नहीं जोड़ा जा सकता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से ही राज्य सरकार के खाते में दर्ज राजकीय भूमि रही है तथा वर्तमान में नामांतरकरण संख्या 365 दिनांक 24.01.2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या दो जोधपुर विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज हुई है। अपीलांट्स की ओर से वादग्रस्त आराजीयात पर लगातार 30 वर्ष तक अनवरत कब्जा काश्त होने के दस्तावेजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर भिन्न–भिन्न समय पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा काश्त जरूर रहा है। कानूनन अपीलांट्स एडवर्स पजेशन के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपना पृथक–पृथक निष्कर्ष पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने प्रकट होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

प्रस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या पी/236/2023 (जी. सी.एम.एस. नंबर 2023/573) बस्तीराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अगस्त 2025 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2026-6Ju2026-5 Gordhanram ors Vs State of Rajasthan etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
1. गोरधनराम पुत्र बस्तीराम 2. गंगाराम पुत्र ढगलाराम 3. समीर पुत्र ढगलाराम 4. बाबूलाल पुत्र भीकाराम समस्त जातियान भील निवासीगण खारडा रणधीर, तहसील व जिला जोधपुर।	**ब ना म**	1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर। 2. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 27 अगस्त 2025 राजस्व वाद संख्या पी/236/2023 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/573) बस्तीराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

—————— 0 ——————

यह अपीले बतारीख 15 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री दीपसिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या पी/236/2023 (जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/573) बस्तीराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अगस्त 2025 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ———00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00——— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 15 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर